भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 148

उत्तर देने की तारीख 29नवंबर, 2021

सोमवार, 08 अग्रहायण,1943 (शक)

युवाओं में कौशल अंतर

148 श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा: डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्या: श्री प्रताप सिम्हा: श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय ने देश में युवाओं में कौशल अंतर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कम करने के लिए अभी कोई योजना बनाई जानी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का जनसांख्यिकी लाभ का दोहन करने के लिए निकट भविष्य में ऐसा करने का विचार है;

(घ) देश में कौशल असंतुलन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) सभी कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) सरकार ने भारत में विभिन्न राज्यों के लिए जिला-स्तरीय कौशल अंतर अध्ययन आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से एक्सेंचर, केपीएमजी, और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) सहित विभिन्न संगठनों को नियुक्त किया था। 443 जिलों में अध्ययन आयोजित किए गए थे। जिन जिलों के लिए उक्त अध्ययन किए गए हैं, उनकी राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I**की तालिका में दी गई है। इनमें 2012-17 और 2017-22 में जिले-वार कौशल अंतराल की जानकारी है। राज्य-वार अध्ययन का समग्र उद्देश्य संबंधित राज्यों में संख्या और आवश्यक कौशल तथा क्षमता दोनों के संदर्भ में जिला-स्तरीय कौशल अंतराल का आकलन करना था। ये अध्ययन राज्य के सभी जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वे राज्यों के भीतर कौशल आवश्यकताओं और अवसरों को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा, भारत के 21 तटीय

जिलों के लिए मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता अध्ययन, सागरमाला, जहाजरानी मंत्रालय के लिए तैयार किया गया था।

(ख) और (ग) मंत्रालय सभी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों से संबंधित दीर्घावाधि प्रशिक्षण के लिए,अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई 3.0 को जॉब रोल्स की पहचान और मैपिंग के लिए बॉटम-अप अप्रोच के साथ एक मांग-संचालित स्कीम के रूप में डिजाइन किया है। इस स्कीम के तहत, जिला कौशल समितियां (डीएससी) इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु हैं। संबंधित राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के मार्गदर्शन में डीएससी जिला स्तर पर कौशल अंतराल को दूर करने और मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीएससी को जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत बुनियादी और निचले स्तर तक कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया है। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कौशल अंतराल अध्ययन साझा किया गया है। ये अध्ययन एनएसडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) सरकार अधिक से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है ताकि कौशल अंतराल को दूर किया जा सके, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित विचारों के अनुसार देश की शिक्षा प्रणाली के साथ कौशल के अधिक से अधिक एकीकरण की योजना बनाई जा सके। 2015-16 से जुलाई 2021 तक उपर्युक्त स्कीमों के तहत लाभान्वित उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:

निकाय	**उपलब्ध तिथि के अनुसार 2015-16 से जुलाई 2021 तक प्रशिक्षित व्यक्ति (संख्या लाख में)**
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 1.0 और 2.0	126.82
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा शुल्क आधारित प्रशिक्षण	117.39
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)	10.73
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)	15.10
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) {राज्य सरकार और निजी आईटीआई के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण}	64.01
योग	**334.01**

<u>अनुबंध I</u>

जिन जिलों के लिए उक्त अध्ययन किए गए हैं, उनकी राज्य-वार संख्या नीचे सारणीबद्ध है:

राज्य	अध्ययन में शामिल जिलों की संख्या
गुजरात	26
पंजाब	20
हरियाणा	21
हिमाचल प्रदेश	12
पश्चिम बंगाल	19
एमपी	45
उत्तराखंड	13
झारखंड	18
केरल	14
छत्तीसगढ	27
महाराष्ट्र	34
कर्नाटक	29
तमिलनाडु	32
गोवा	2
राजस्थान	33
एपी	23
यूपी	75
योग	**443**

****